

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 15/2021

तारीख रजू 31.08.2021

प्रार्थना पत्र इजराय

मिशल आई०डी० नम्बर 2021/398

उनवान-रमन सिंह वगै० बनाम जगदीश वगै०

उनवान

रमनसिंह पुत्र रामखिलाडी वगै० जाति जाट निवासी बरगमां तहसील हिण्डौन जिला करौली

—डिक्रीदारान

बनाम

जगदीश पुत्र प्रभाती वगै० जाति जाट निवासी बरगमां तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

—मदयूनान

दिनांक	फर्द अहकाम
31.08.2021	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 30.09.2021 को पेश हो।</p>
30/9/2021	<p style="text-align: right;">(अनूप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p> <p>पत्रावली पेश हुई। डिक्रीदार वकील उपस्थित। पत्रावली का डेवलपमेंट करने पर पाया कि प्रकरण में वाद मु-नं० 238/91 शिवधरा बनाम प्रभाती दि० 14-3-1996 को दावा डिक्री हुआ है। प्रकरण वर्ष 1996 में डिक्री देने के बावजूद डिक्रीदार द्वारा लगभग 25 वर्ष बाद इजराय का प्रकरण पेश किया है। इसलिए डिक्री की अवाध मियाद बाहर होगी है। इसलिए डिक्री की नियमानुसार पालना किया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त प्रकरण इजराय की कार्यवाही शेष की जाती है।</p>

